न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

जिला ग्वालियर रिव्यू 501-PBR-15

प्र. क्र. ~~निगरानी~~ रिव्यू / अध्यक्ष / /2014 निगरानी

विक्रम पुत्र प्रदीपसिंह नावा0सरपरस्त माँ अल्का पत्नी श्री प्रदीप निवासी 161 सी0पी0कॉलोनी मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रार्थी

बनाम

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा जयेन्द्रगंज द्वारा शाखा प्रबंधक
2. म0प्र0शासन द्वारा नायब तहसीलदार

.....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय स्वदीपसिंह अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी/2522/अध्यक्ष/2014 में पारित आदेश दिनांकी 13.11.2014 के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू

जी,

आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

रक्षकारों
आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

--

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रण कमांक रिव्यू 501-पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

न तथा ांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-6-2015	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13-11-2014 का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथां आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :- 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई	

न्यायालयः

प्र. क्र. निगरानी / अध

है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

म0प्र0भूराजस्व सं
अध्यक्ष राजस्व
निगरानी / 2522
2014 के निर्णय

प्रार्थी की ओर से रि
यह कि, प्रार्थी के स्व
जिला ग्वालियर में
स्वामित्व का था प्रा
वसीयतनामा दिनांक
उक्त संपत्ति का श्र
गया था परन्तु प्रार्थ
न करा सका इसी
के आधार पर नाम
करा ली । इस प्र
अपना इन्द्राज क
को संपत्ति मानते
ऋण प्राप्त किय
नौके पर कोई उ